

राजस्थान सरकार  
कार्यालय तहसीलदार, पीपलदा  
जिला-कोटा



\* जाति प्रमाण-पत्र \*



अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों द्वारा  
अपने दावे केन्द्रों में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

क्रमांक : RJ30/2013/Misc/Digital Caste (SC/ST)/8649

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री भरत राज मीना पुत्र श्री मेघराज मीना निवासी- केशोपुरा, जिला कोटा राजस्थान राज्य में मीना (9) के अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य हैं, जो कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 संविधान अण्डमान निकोबार अनुसूचित आदिम जाति आर्टिकल 1956 के अन्तर्गत एक अनुसूचित जाति आदिम जाति मानी जा चुकी है।

भरत राज मीना और इसका परिवार साधारणतः केशोपुरा राज्य संघ क्षेत्र राजस्थान के जिला कोटा के निवासी है।

आज दिनांक 22-09-2013 को यह प्रमाण-पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षर से प्रचलित किया गया है।  
चेद

1. यहाँ प्रयोग सचिवराज्य, निवासी का अर्थ यही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एम. 21 (37) एम.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र डिजिटल द्वारा उपरोक्त कथने गये ई-उत्तरावेजात के आधार पर जारी किया गया है। उत्तरावेजात की प्रमाणीकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. जारी द्वारा इस्तक किये गए मूल आवेदन सं. एवं सम्बंधित उत्तरावेजात निम्ने के सम्बंधित इस्तक अधिकारी निम्नेके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में विरोध/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः कहीं कहीं के लिये मान्य है।
6. जारी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन [www.emitra.gov.in](http://www.emitra.gov.in) पर स्थित On-line Verification Section से online सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार पीपलदा

Signature valid

Digitally signed by  
HARI SHANKAR  
Date: 2013.09.22  
02:41:58  
Reason: ICM  
Location: Rajasthan



1330015510092976